तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.05.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.05.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/05/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
80 / 2019	2019 / 0109	19.06.2019	17.05.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. अणची देवी पत्नि स्व0 जैसाराम उम्र 65 वर्ष
2. गोकुलराम पुत्र जैसाराम उम्र 48 वर्ष
3. मोहनसिंह पुत्र जैसाराम उम्र 38 वर्ष
4. रोशनसिंह पुत्र जैसाराम उम्र 36 वर्ष
5. सरजीत पुत्र जैसाराम उम्र 28 वर्ष

जाति समस्त जाट निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–– वादीगण––

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र मोठूराम उम्र 65 वर्ष
2. नेकीराम पुत्र मोठूराम उम्र 60 वर्ष
3. बनवारी पुत्र मोठूराम उम्र 8 वर्ष
4. सुरेश पुत्र मोठूराम उम्र 55 वर्ष
5. काना पुत्र लादू उम्र 75 वर्ष
6. भैरूराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू उम्र 55 वर्ष
7. सीताराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू उम्र 45 वर्ष
8. मंशा पुत्र लादू उम्र 70 वर्ष
9. सुरजी देवी पत्नी रामनिवास (नाबालिग)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

10. छाजूराम उम्र 60 वर्ष

11. सागरमल उम्र 57 वर्ष

12. महेन्द्र उम्र 53 वर्ष

13. हरलाल उम्र 50 वर्ष

14. वेदप्रकाश उम्र 47 वर्ष

पुत्रगण रामनिवास

15. बिदामी देवी पुत्री रामनिवास पत्नि अशोक जाति जाट हाल निवासी निवसी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

16. भगवानी पत्नि भगवानसहाय

17. ताराचन्द पुत्र भगवानसहाय उम्र 56 वर्ष

18. सुल्तान पुत्र हणमान उम्र 51 वर्ष

19. हरफूल पुत्र हणमान उम्र 43 वर्ष

20. झाबर उम्र 40 वर्ष

21. राजू उम्र 27 वर्ष

पुत्रगण हणमान

22. जगदीश पुत्र बालूराम उम्र 65 वर्ष

जाति समस्त जाट निवासीगण निवासी सागर का कुआ ढाणी मंगावा की तन बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

23. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

श्री गिरीराज शर्मा, एड0 वादीगण अभि[illegible]
श्री सोहन सिंह कलवानि[illegible] 4 की ओर से।
श्री झाबर मल बिजारणि[illegible] 8 की ओर से।
श्री फूलाराम जाट, एड0 प्रतिवादी संख्या [illegible] की ओर से।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
12/05/23

दावा बाबत बंटवारा व उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 327, 328, 331 से 333, 335, 336, 339 से 346, 381, 382, 476 से 478 कुल किता 20 कुल रकबा 8.06 है0 अवस्थित तन ग्राम नावलाई पटवार हल्का बागरियावास है। भूमि खसरा नम्बर 810 व 812 कुल किता 2 कुल रकबा 1.95 है0 अवस्थित ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर है। उक्त भूमियों की खातेदारी में वादीगण के नाम 1/10 हिस्से की व 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 के नाम एवं 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम व 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 के नाम व 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 के नाम व 1/10 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नं. 9 से 15 के नाम व 1/10 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 16 के नाम व 1/10 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 17 से 21 के नाम व 1/10 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 22 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारगण सभी लादूराम व बालूराम के वंशज है व लादूराम व बालूराम सगे भाई थे। वादग्रस्त भूमि को मौके पर पक्षकारगण बहुत पुराने समय से लगभग 40 वर्षो से बाहमी तौर पर बांट–बांट कर काश्त करते आ रहे हैं। जिस अनुसार वादीगण अपने पिता के समय से भूमि खसरा नम्बर वर्तमान खसरा नम्बर 328 संपूर्ण व 335 संपूर्ण एवं 327 की 25 एयर भूमि एवं खसरा नम्बर 346 में 250 मीटर व खसरा नम्बर 336 मे उत्तरी तरफ की 10 एयर भूमि जो खसरा नम्बर 337 व खसरा नम्बर 334 की सीमा से लगती हुई खसरा नम्बर 335 को जोडती हैं, पर वादीगण 40 वर्षो से एकल व अनन्यतः काबिज चलें आ रहे है। जिसमें खसरा नम्बर 346 में वादीगण ने अपना मकान [illegible] है व इसके सामने की खसरा नम्बर 336 की भूमि लगभग 6 [illegible] वर्तमान के [illegible] में अधिकारपूर्ण व पिछले 40 वर्षो से चली आ रही है एवं खसरा नम्बर 335 में भी वादीगण के चार कमरे व भेसो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

17/05/23

का बाड़ा, शोचालय स्नानघर बने हुए है व वादीगण ने रास्ते से पूर्व दिशा में जो वादीगण के कब्जे की भूमि है, उसको लगभग हर तरफ से तारबन्दी से महदूद कर रखा है। अन्य पक्षकारगण ने भी कुछ मे से सुल्तान, हरफूल, झाबर, राजेन्द्र ने खसरा नम्बर 345 व 346 के कुछ भाग में मकान बना रखे है व ताराचन्द प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 344 में मकान बना रखे है व सभी पक्षकारगण अपने–अपने कुटुम्ब की ईकाई अनुसार मोके पर पूर्ण रूप से विभक्त रूप से पिछले 40 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। पूर्वकाल में सभी कुटूम्बजन वर्तमान से अधिक निकट के रास्ते में भाई बन्धु थे व सभी पक्षो के मध्य भाईचारा था। जिन्होने आपसी कोटुम्बिक निपटारा बाहमी तौर पर मौखिक रूप से करके 40 वर्षो पूर्व अपने–अपने हक विभक्त कर लिए थे, जो उस समय की परिस्थियों अनुरूप हर हिस्सेदार ने स्वयं की सन्तुष्टीदायक तरीके से मौके पर की गई विभक्तता को स्वीकृति दे दी थी व उसी मौका स्थिति अनुसार राजस्व रिकार्ड में बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवा लेना तय कर दिया था, किन्तु पक्षकारगण के पूर्वज अनपढ व भोले भाले ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे। जिनमे आपस में निकट का भाईचारा तत्समय था। आपस में सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध थे, हर पक्ष एक दूसरे के पृथकतायुक्त कब्जे काश्त की स्थिति से सहमत व परिचित एवं स्वयं के हक के प्रति आश्वस्त रहता रहा व आक्षेपहीनता की स्थिति के कारण पूर्वकाल में मौके पर मौजूद विभाजन की स्थिति अनुसार खातेदारी अलग–अलग करवाने जेसी कोई आवश्यकता महसूस नही हुई व बुजुर्गान के भोले–भाले व अनपढ होने के कारण दूरदर्शी दृष्टिकोण युक्त पर्याप्त चिन्तन के अभाव में भी उक्त कानूनी बंटवारा विलम्बित होता रहा। वर्तमान मे सभी पक्षकारगण के अलग–अलग ईकाईयों में पारिवारिक सदस्य संख्या भी बढ गई है व बन्धूत्व के विघटन की प्रकिया भी समय प्रभाव से बढती जा रही है व वर्तमान दौर मे सदाशयता में भी न्यूनता आती जा रही है व मौके पर सीमाओ एवं 40 वर्ष पुराने विभाजन की स्थिति को कतिपय सदस्य अकारण चुनौति देने लगे है। जिससे प्रतिवादीगण [illegible] मौके पर वादीगण के दक्षिणी तरफ सीमावर्ती काश्तकार है, वे वादीगण से वैमनस्यता व ईर्ष्या व रंजिश रखते है व पूर्वकाल में मौजूद सीमा के प्रतीक सींव डोल इत्यादि को भी पुराने समय से क्षतिग्रस्त करते रहे है। जिस कारण वादी ने अपनी सीमाओ पर तारबन्दी भी काफी समय पूर्व करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

ती है किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 मौके पर वादी की तारबन्दी को क्षतिग्रस्त करने व उखाड़ने की एहलानिया धमकी दे रहे है। वादीगण ने सभी हिस्सेदार को मौके की स्थिति मुताबिक नाप जोखकर बंटवारा करने हेतु भी कहा तो अन्य हिस्सेदारान बंटवारा करने हेतु सहमत रहे किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने लैण्ड होल्डर के पास जाकर कानूनी बंटवारा करके अलग–अलग खातेदारी करवाने में पिछले लगभग एक डेढ महिने से मना कर दिया हैं। वादीगण ने गांव में स्थानीय स्तर पर इस संबंध में कोशिश की है किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की हठधर्मिता के कारण कानूनी बंटवारा नही हो पा रहा है। इस कारण यह वाद बाबत कानूनी विभाजन के स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हो गया हैं। कूननी विभाजन में वर्तमान में जबकि हर हिस्सेदार अपनी पारिवारिक ईकाई अनुसार पिछले 40 वर्षो से अपनी–अपनी हक हिस्से में बाहमी विभाजन अनुसार आई हुई भूमियों को लगातार अपने स्वयं के हक की होना मानकर काश्त करता आ रहा है व हर हिस्सेदार ने अपने मौके पर विभक्तायुक्त कब्जे के भूमि में अपना–अपना खर्चा करके विकास कार्य निर्माण व मकानात बाड़े इत्यादि बना लिए है व वादीगण एवम् अन्य हिस्सेदार मौके पर 40 वर्षो से सुव्यवस्थित रूप से व सुस्थापित रूप से प्रथमतः काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए कानूनी रूप से व न्यायहित में एवं व्यावहारिक रूप से कब्जे काश्त के मौके पर मौजूद स्वरूप के अनुरूप की भूमियों का कानूनी बंटवारे में विभक्तिकरण होना आवश्यक व व्यावहारिक स्थिति है। जिस अनुसार वादीगण भूमि खसरा नम्बर 335 का संपूर्ण रकबा 0.31 है0 व 328 का संपूर्ण रकबा 0.32 है0 व 327 का दक्षिणी तरफ का खसरा नम्बर 382 मे सटता हुआ 10 एयर रकबा कम करके शेष 0.25 है0 भूमि व खसरा नम्बर 346 में 2.5 एयर दक्षिणी तरफ की व खसरा नम्बर 336 में 10 एयर भूमि उत्त्री तरफ की, खसरा नम्बर 337 व 334 व 335 के कुछ भाग से लगती हुई रास्ते से सटाकर मौके पर तारबन्दीयुक्त है की स्वयं [illegible] दारी में तन्हा व एकल रूप से दर्ज करवाने के मुश्तक है व शेष [illegible] उनकी सहमति हो तो उनके कब्जे के अनुसार मौके पर कर दिया जावे [illegible] वे समस्त बंटवारे हेतु सहमत नही हो तो बची हुई शेष भूमि शेष प्रतिवादीगण के नाम रहने दी जावे। जिसमें से वादीगण का नाम हजफ कर दिया जावे एवं वादीगण के हक में आने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

17/01/23

से प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया दिया जावें। वादीगण मौके के विभाजन अनुसार कानूनी बंटवारे में खसरा नम्बर 328, 335 की संपूर्ण व 327 की 0.25 है0 भूमि व खसरा नम्बर 336 की उत्तरी तरफ की 0.10 है0 भूमि व खसरा नम्बर 346 की उत्तरी तरफ की 0.0250 है0 भूमि अपने खातेदारी हक हिस्से मुताबिक बंटवारे में तो प्राप्त करने के अधिकारी है ही साथ ही साथ चूंकि वादीगण उक्त भूमि पर अपने पिता के समय से पिछले 40 वर्षो से अधिकार पूर्वक उक्त जमीन को अपनी होना मानकर समस्त प्रतिवादीगण की जानकारी में शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग–उपभोग में लेकर निर्विघ्न रूप से काश्त करते आ रहे है व इन्ही भूमियों में स्वयं निवास करते हुए आ रहे है एवम् मवेशी इत्यादि भी इन भूमियों मे रखते आए हैं। इसलिए वादीगण को इन भूमियो पर कब्जेयुक्त स्वत्वः का भी अर्जन हो चुका है व वैकल्पिक रूप से इन भूमियो पर वादीगण के कब्जे को 40 वर्ष पूर्व के बाहमी बंटवारे से अतिरिक्त तरीके से देखा जावे तो भी वादीगण प्रतिकूल कब्जे के परिपक्वता कानूनी रूप से 28 वर्ष पूर्व ही हो जाने के कारण भी उपरोक्त भूमियों का अनन्यतः स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण के यदि कोई तथाकथित सम्मिलित खातेदारी होने के कारण कोई अधिकार थे भी तो वादीगण द्वारा स्वयं के हक की बताई गई भूमियों पर 40 वर्षो से वादीगण का कब्जा काश्त नही होने के कारण उनके तथाकथित हक हकूक कानूनी रूप से निर्वापित हो चुके है। बिनाया दावा अर्सा करीब एक डेढ माह से प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 22 द्वारा मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त की हक हिस्से की भूमि में मजाहमत करने की धमकी देने वा कानूनी बंटवारा मौका स्थिति अनुसार करवाने को मना करने से एवं वादीगण के अनन्य कब्जे काश्त की भूमि को सीमा पर लगी तारबन्दी को हटाने की धमकियां देने से पैदा हुआ है व लगातार हो रहा हैं।

वादीगण ने वादपत्र पेश कर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 22 के मध्य कानूनी बंटवारा मौका स्थिति के अनुसार करवाया जाकर वादीगण के हक में भूमि खसरा नम्बर 335 व 328 का पूर्ण हक व खसरा नम्बर 327 में दक्षिणी तरफ की 0.10 है0 भूमि छोडकर शेष उत्तरी तरफ की 0.25 है0 भूमि व खसरा नम्बर 336 मे उत्तरी दिशा की 0.10 है0 भूमि खसरा नम्बर 337, 334 व 335 एवं रास्ते से लगती हुई व खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 346 मे दक्षिणी तरफ की 0.0250 की खातेदारी एकल व अनन्यतः दर्ज करवाई जाकर मौका स्थिति के अनुसार खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाई जाने व तदनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शे मे उक्त स्थिति मुताबिक संशोधन व अंकन किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारीयों में प्रतिवादी संख्या 1 से 22 का नाम हजफ फरमाये जाने व पारिणामिक असर स्वरूप शेष नम्बरों की भूमि में से वादीगण का नाम हजफ फरमाये जाने व वैकल्पिक रूप से वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 335, 328 संपर्ण व 327 की 0.25 है0 भूमि उत्तरी तरफ की व खसरा नम्बर 336 की 0.10 है0 भूमि उत्तरी तरफ की व खसरा नम्बर 346 की 0.0250 दक्षिणी तरफ की भूमि का हक 40 वर्ष पुराना व्यवस्थित व स्थापित कब्जे के अनुरूप घोषित फरमाये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपने प्रस्तुत वादपत्र में किया है। वादीगण ने यह वाद वास्ते तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक के तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री सोहन सिहं कल्वानियॉ एड0 ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय क्रोस दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री फूलाराम जाट एड0 एंव प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री झाबर मल बिजारणियॉ एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7, 10 लगायत 23 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है एंव डाक विभाग की ट्रेंकिग रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 7, 10 लगायत 23 बावजूद सम्मन तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अम[illegible] गई है। प्रतिवादी संख्या 9 का नाम हजफ किये जाने का प्रा[illegible]क की कार्यवाही की गई। प्रकरण में वकील वादीगण व पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मणसिंह पुत्र मोटूराम, व वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से व मौके अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगन के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 22 (प्रतिवादी नं. 9 का नाम हजफ) का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 05.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार व पूर्व में हुए बाहमी बंटवारा व कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत क्रोस दावा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 05.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 142/रीडर/2023 दिनांक 17.01.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी [illegible] तहसीलदार (भू.अ.) के पत्रांक 473/भू.अ./23 दिनांक 17.03.20[illegible] नजरी नक्शा ट्रेस के प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत कोस दावा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: क्रियात्मक आ[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विश्लेषण [illegible] वादीगण का वाद एंव प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत कोस दावा बाबत तकास्मा एंव [illegible]थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के

मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 17.03.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

राजस्व ग्राम:– नावलाई

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	अणची पत्नि जैसाराम,	328	0.3200		
	गोकुल राम पुत्र जैसाराम,	335	0.3100		
	मोहनसिंह पुत्र जैसाराम,	327 / 1	0.2500		
	रोशन सिंह पुत्र जैसाराम,	336 / 1	0.1000		
	सरजीत सिंह पुत्र जैसाराम	346 / 2	0.0250		
	जाति जाट, सा0 देह खातेदार हिस्सा बराबर				
	योग खाता	किता – 5	1.0050		
2	काना पुत्र लादूराम हि0 403 / 2822,	327 / 2	0.1000		
	राहिन बीआरकेजीबी नाथूसर	331	0.1000		
	मंशा पुत्र लादूराम हिस्सा 403 / 2822	332	0.0600		
	बिला रहन	333	0.0700		
	नेकीराम पुत्र मोटूराम हिस्सा 403 / 11288	336 / 2	[illegible]2900		
	राहिन बीआरकेजीबी शाखा नाथूसर	[illegible]	[illegible]		
	बनवारी लाल पुत्र मोटूराम हिस्सा	34[illegible]	0.7600		
	403 / 11288 राहिन यूनियन बैंक ऑफ	341	0.7000		
	इण्डिया, श्रीमाधोपुर	342	0.5900		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

	लक्ष्मण सिंह पुत्र मोठूराम हिस्सा	343	0.3700		
	403/11288 राहिन एसबीआई मउ	344	0.3400		
	सुरेश कुमार पुत्र मोठूराम हिस्सा	345	0.3200		
	403/11288 राहिन पीएनबी पिपराली	346/1	0.0250		
	भैरूराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू हिस्सा	381	0.2800		
	403/5644 राहिन आई डी बी आई बैंक	382	0.5300		
	भारणी	476	0.1600		
	सीताराम पुत्र भोलाराम उर्फ भोलू हिस्सा	477	0.9400		
	403/5644 बिला रहन	478	0.9400		
	जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम हिस्सा 605/5644 राहिन एसबीआई श्रीमाधोपुर रामनिवास पुत्र बालूराम हिस्सा 605/5644 बिला रहन ताराचन्द पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 605/5644 राहिन आई डी बी आई बैंक भारणी हणमान पुत्र बालूराम हिस्सा 1/10 राहिन एसबीआई श्रीमाधोपुर जाति जाट सा0 देह				
	योग खाता	किता – 18	7.0550		

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव :– राजस्व ग्राम बागरियावास

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
3	काना पुत्र लादू हिस्सा 1/8 बिला रहन मंशा पुत्र लादू हिस्सा 1/8 बिला रहन	810 812	0.8700 1.0800		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नेकीराम पुत्र मोठूराम हिस्स 1/32 राहिन बीआरकेजीबी नाथूसर बनवारी लाल पुत्र मोठूराम हिस्सा 1/32 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया श्रीमाधोपुर लक्ष्मण सिंह पुत्र मोठूराम हिस्सा 1/32 राहिन एसबीआई मउ सुरेश कुमार पुत्र मोठूराम हिस्सा 1/32 बिला रहन भैरू पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/16 बिला रहन सीताराम पुत्र भोलूराम हिस्सा 1/16 बिला रहन जगदीश पुत्र बालूराम हिस्सा 1/8 राहिन एस बी आई श्रीमाधोपुर रामनिवास पुत्र बालूराम हिस्सा 1/8 बिला रहन हणमान पुत्र बालूराम हिस्सा 1/8 बिला रहन ताराचन्द पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/8 बिला रहन जाति जाट, सा0 देह					
योग खाता	[illegible]	1.9500			

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested

दिलीपसिंह 20/05/23
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 473/भू.अ./23 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/05/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/05/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.20 17:35:09 IST
Reason: SelfAttested